



राजस्थान सरकार  
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, राजस्थान राज्य स्वास्थ्य समिति  
स्वास्थ्य भवन, जयपुर

एफ29(39)एनआरएचएम/एमएमजेआरके/सर्क्यूलर/09/ 26.38

दिनांक 8/8/11

समस्त अधीक्षक  
मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय

समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी  
जिला/सैटेलाईट/उपखंड चिकित्सालय

समस्त चिकित्सा अधिकारी प्रभारी  
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र

समस्त चिकित्सा अधिकारी प्रभारी  
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

परिपत्र संख्या 21

विषय : थैलेसिमिया एवं हिमोफिलिया रोगियों के निदान एवं उपचार की सुविधाओं के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग ने पत्र क्रमांक प.19(2)चिस्वा./2/09, दिनांक 10.06.2011 के तहत यह अवगत करवाया है कि बजट घोषणा 2011-12 के बिन्दु संख्या 48-राजकीय चिकित्सालयों में थैलेसिमिया एवं हिमोफिलिया के मरीजों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाये जाने के संबंध में अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त) महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 23.05.2011 को हुई बैठक में लिये गये निर्णयानुसार दिनांक 02.10.2011 से थैलेसिमिया एवं हिमोफिलिया के रोग के उपचार को मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षा कोष योजना के लाभान्वितों की श्रेणी में सम्मिलित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

कृपया इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही करावें।

भवदीय

(डॉ. समीर शर्मा)  
मिशन निदेशक

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. प्रमुख शासन सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री सचिवालय, जयपुर।
3. निजी सचिव, माननीय राज्य मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सचिवालय, जयपुर।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, सचिवालय, जयपुर।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त), सचिवालय, जयपुर।

6. निजी सचिव, अतिरिक्त सचिव एवं मिशन निदेशक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, भारत सरकार, नई दिल्ली।
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, सचिवालय, जयपुर।
8. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, सचिवालय, जयपुर।
9. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
10. समस्त संभागीय आयुक्त/जिला कलेक्टर, राजस्थान।
11. निजी सचिव, मिशन निदेशक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, जयपुर।
12. समस्त प्रधानाचार्य, मेडिकल कॉलेज महाविद्यालय।
13. निदेशक, आईईसी/परिवार कल्याण/जन स्वास्थ्य/एड्स स्वास्थ्य भवन, जयपुर।
14. परियोजना निदेशक, आरएचएसडीपी/एमएमजेआरके/एनआरएचएम स्वास्थ्य भवन, जयपुर।
15. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्।
16. वित्तीय सलाहकार, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, जयपुर।
17. उप शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग को उनके पत्र क्रमांक प.19(2)चिस्वा./2/09, दिनांक 10.06.2011 के सन्दर्भ में।
18. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं।
19. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को भेजकर लेख है कि वो अपने स्तर से समस्त चिकित्सा अधिकारी प्रभारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को परिपत्र की प्रति भिजवायें।
20. जन सम्पर्क अधिकारी, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, जयपुर।
21. प्रभारी सर्वर रुम कृपया संबंधित को ई-मेल करवाये एवं विभाग की संबंधित वैबसाईट पर अपलोड करवाये।
22. सलाहकार (आईटी) एमएमजेआरके को भेजकर लेख है कि कृपया परिपत्र को एमएमजेआरके के सॉफ्टवेयर एवं संबंधित वैबसाईट पर अपलोड करवाये।
23. स्टेट इन्फोरमेटिक ऑफिसर एनआईसी, सचिवालय को भेजकर लेख है कि कृपया एमएमजेआरके सॉफ्टवेयर में उक्त बीमारियों बाबत आवश्यक कार्यवाही करावें।
24. रक्षित पत्रावली।

मिशन निदेशक  
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन

11/6  
5/8/11